

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकाम:- जैतारण
 बईजलास :- श्री रवि प्रकाश, आर0ए0एस0
 -: वादी :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

हरजीत सिंह पुत्र करणसिंह जी
 जाति राजपूत उम्र 46 वर्ष
 निवासी खेडा रामगढ़ हाल
 निवासी खेडारामगढ़ हाल
 निवासी निमाज तहसील
 जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान

1. तहसीलदार साहब जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान।
 2. हल्का पटवारी पटवार हल्का सांगावास तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान।
 3. अमरजीत सिंह पुत्र करणसिंह
 4. इन्द्रजीत सिंह पुत्र करणसिंह जातियान राजपूत निवासीगण खेडारामगढ़ तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान
- मु0न0 :रा0वा0स0- 107/2023

राजस्व वाद बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी श्री अरुणसिंह राठौड, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुब्दई व श्री रामस्वरूप चौधरी व तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुब्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी पटवार हल्का खेडारामगढ़ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगावास भू-अभिलेख क्षेत्र आगेवा तहसील जैतारण में स्थित कृषि भूमि सरहद मौजा 1465 रकबा 6.1512 हेक्टेयर किस्म चाही दोयम राजस्व रेकॉर्ड में अंकित प्रविष्टि 'हरजीतसिंह पुत्र करणसिंह हिस्सा 449/1650' के स्थान पर 'हरजीतसिंह पुत्र करणसिंह हिस्सा 549/1650' एवं 'ग्राम पंचायत सांगावास हिस्सा 101/1650' के स्थान पर 'ग्राम पंचायत सांगावास हिस्सा 1/1650' दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। तदनु रूप राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 09.01.2025 को जारी किया गया।

मोहर



सहायक कलक्टर
 (फास्ट ट्रेक) जैतारण
 जिला-ब्यावर (राज0)

मुब्दई	रुपये	पैसे	मुब्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00		स्टाम्प वकालतनामा	1.00	
स्टाम्प वकालतनामा	2.00		स्टाम्प अर्जी	0.00	
स्टाम्प वजह सबूत	0.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	0.00		फीस कमीशनर	0.00	
फीस कमीशनर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	2.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजान:-	6.00		मिजान:-	1.00	

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।